रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052021-227073
CG-DL-E-19052021-227073

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269] नई दिल्ली, बुधवार, मई 19, 2021/वैशाख 29, 1943
No. 269] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 19, 2021/VAISAKHA 29, 1943

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2021

**सा.का.नि. 335(अ).**—राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) और (थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (सदस्यों की नियुक्ति और नामांकन की रीति, उनके वेतन, भत्ते और सेवा के अनुबंध एवं शर्तें, और आस्तियों, व्यावसायिक और वाणिज्यिक नियोजन की घोषणा) नियम, 2019 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (सदस्यों की नियुक्ति और नामांकन की रीति, उनके वेतन, भत्ते और सेवा के अनुबंध एवं शर्तें और आस्तियों, व्यावसायिक तथा वाणिज्यिक नियोजन की घोषणा) द्वितीय संशोधन नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, (सदस्यों की नियुक्ति और नामांकन की रीति, उनके वेतन, भत्ते और सेवा के अनुबंध एवं शर्तें, और आस्तियों, व्यावसायिक और वाणिज्यिक नियोजन की घोषणा) नियम, 2019 के नियम 13 में,-

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"आयोग के सचिव को संदेय वेतन, उसकी पात्रता के आधार पर, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 15 (रु. 182200-224100/-) में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14 (रु. 1,44,200-2,18,200/) में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतन के समतुल्य होगा ।

परन्तु जहां आयोग का सचिव सरकारी, अर्ध-सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों से सेवानिवृत्त हुआ है, वहां उसके द्वारा प्राप्त पेंशन या सेवांत फायदों का पेंशनिक मूल्य या दोनों के साथ संदेय वेतन अंतिम प्राप्त वेतन से अधिक नहीं होगा"।

(ख) उप-नियम (2) के खंड (ii) में, "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "सात वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. वी. 11012/13/2019-एमईपी (पार्ट II)]

निपुण विनायक, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी:** राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (सदस्यों की नियुक्ति और नामांकन की रीति, उनके वेतन, भत्ते और सेवा के अनुबंध एवं शर्तें तथा आस्तियों, व्यावसायिक और वाणिज्यिक नियोजना की घोषणा) नियम, 2019 दिनांक 12 सितंबर, 2019 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का. नि. 650 (अ) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे, जिनमें बाद में सा.का. नि. 282 (अ) दिनांक 20 अप्रैल, 2020 के माध्यम से संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2021

**G.S.R. 335(E).**— In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b), (c), (d) (e), (f), (g), (h) and (q) of sub-section (2) of section 56 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Medical Commission (Manner of Appointment and Nomination of Members, their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements) Rules, 2019, namely: —

1. (1) These rules may be called the National Medical Commission (Manner of Appointment and Nomination of Members, their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements) Second Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. In the National Medical Commission (Manner of Appointment and Nomination of Members, their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements) Rules, 2019, in rule 13, –

(a) for sub-rule (1), the following shall be substituted:

"(1) The salary payable to the Secretary to the Commission shall be equivalent to the salary of Additional Secretary to the Government of India in Level 15 in the pay matrix (Rs. 182200-224100/-) or Joint Secretary to the Government of India in Level 14 in the pay matrix (Rs. 1,44,200-2,18,200/-) depending upon his eligibility.

Provided that where the Secretary to the Commission is a retired person from Government, semi-Government agencies, public sector undertakings or recognized research institutions, the salary payable together with the pension or pensionary value of the terminal benefits, or both, received by him shall not exceed the last pay drawn."

(b) in clause (ii) of sub-rule (2), for the words "fifteen years", the words "seven years" shall be substituted.

[F. No. V.11012/13/2019-MEP(Pt.II]

NIPUN VINAYAK, Jt. Secy.

**Note:-** National Medical Commission (Manner of Appointment and Nomination of Members, their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements) Rules, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* G.S.R.650(E), dated the 12th September, 2019 and subsequently amended vide G.S.R. 282(E) dated 20th April, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM